


Pranav Kumar
24/7/19

To be uploaded on
RTI Page
[Signature]



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.1(8)लोसूअ/सान्याअवि/19/1449

जयपुर, दिनांक 23-7-2019

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1(8)सामान्य/सान्याअवि/2013/6351 दिनांक 15.01.2014 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा विभागीय कार्य विभाजन के अनुसार समस्त शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग के लिए निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर में राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं :-

क्र.स.	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	अनुभाग का नाम
1	अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)	सामान्य एवं संस्थापन (संस्थापन-पी-1, डी.पी.सी. (राजपत्रित))
2	अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)	छात्रवृत्ति एवं छात्रावास अनुभाग
3	अतिरिक्त निदेशक (पेंशन एवं पन्नाधाय)	पेंशन एवं पन्नाधाय अनुभाग
4	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा)	नशामुक्ति, वृद्ध कल्याण अनुभाग
5	अतिरिक्त निदेशक (अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग)	अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग अनुभाग
6	अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.)	एस.सी.एस.पी./मोनेटरिंग प्रशाखा
7	अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण योजना)	देवनारायण योजना
8	वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास	लेखा शाखा
9	संयुक्त निदेशक (आई.टी.)	कम्प्युटर अनुभाग
10	उपनिदेशक (राईस)	आवासीय विद्यालय प्रकोष्ठ
	सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	अनुभाग का नाम
11	उपनिदेशक (प्रशासन)	सामान्य एवं संस्थापन :- एसीआर, पेंशन, लेखा भुगतान, संस्थापन-पी-2,3,4,5, जाँच, अभाव अभियोग, स्टोर, संविदा, पुस्तकालय, रिकार्ड संघारण, वाहन पूल एवं केयर टेकर
12	उपनिदेशक (पिछडी जाति)	पिछडी जाति अनुभाग

[Signature]

3	उप विधि परामर्शी	विधि अनुभाग
14	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	परिवीक्षा अनुभाग
15	सहायक निदेशक (छात्रावास)	छात्रावास अनुभाग
16	सहायक निदेशक (पालनहार)	पालनहार प्रशाखा
17	सहायक निदेशक (शिक्षा)	छात्रवृत्ति अनुभाग
18	सहायक निदेशक (महिला कल्याण)	महिला कल्याण अनुभाग
19	सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	प्रचार-प्रसार अनुभाग
20	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी (प्रशासन)	आर.टी.आई. एवं सामान्य अनुभाग

निदेशालय के उक्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे संदर्भित अधिनियम की धारा 5(2) के परन्तुक एवं धारा 7(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में किसी व्यक्ति द्वारा धारा 2 (आई) में उल्लेखित राजकीय प्रलेखों की प्रतिलिपि धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगे।

इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

क्रमांक: - 1450-1470

(सांवरमल कर्मा) ..
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
दिनांक 23-7-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। निदेशक, सान्याअवि राज. जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
4. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (अनुजाति/जनजाति)/(सामाजिक सुरक्षा)/(पेंशन एवं पन्नाधाय)/(अनुसूचित जाति उपयोजना)/(अन्य पि. वर्ग एवं वि.पि.वर्ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)/(पिछडी जाति)/(देवनारायण)/(राईस) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
7. सहायक निदेशक (छात्रावास)/(शिक्षा एवं छात्रवृत्ति)/(महिला कल्याण)/(जनसम्पर्क), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
8. कार्यालय आदेश पत्रवाली।

(जय नारायण मीरु) ..
अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)